



राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं० २ सैकटर - १७
पंचकूला, हरियाणा - १३४१०९

Website:www.secharyana.gov.in
Email id:sec@hry.nic.in

Phone: +91 172 2584810
Fax : +91 172 258 5904

आदेश

जैसा कि श्रीमती कोमल अधलक्खा पत्नी श्री सुमित कुमार, पंजाबी मोहल्ला, वार्ड नं० ०९, नूँह, जिला नूँह ने वर्ष २०२२ में नगरपरिषद नूँह के आम चुनावों में वार्ड नं० १३ से पार्षद का चुनाव लड़ा था। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, १९७३ की धारा १३H में दिये गये प्रावधान अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के तीस दिनों के अन्दर-अन्दर अपना चुनाव खर्च रजिस्टर उपायुक्त, नूँह के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य था। धारा १३H में दिये गये प्रावधान निम्न प्रकार से है:-

"Every contesting candidate or his election agent shall, lodge account of election expenditure within thirty days from the date of declaration of election result with the Deputy Commissioner or an officer authorized by the State Election Commission. The Deputy Commissioner or such officer shall, send a list of those candidates who contested by fail to lodge the account of election expenditure or made expenditure beyond the limit prescribed by the State Election declaration of election result. The State Election Commission shall accordingly pass an order of their disqualification under section 13 F".

2. जैसा कि चुनाव खर्च रजिस्टर समय पर जमा न करवाने पर उपायुक्त, नूँह द्वारा श्रीमती कोमल अधलक्खा को अपने आदेश क्रमांक २०९३-९९/एल०एफ०ए० दिनांक १०.०४.२०२४ अनुसार हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, १९७३ की धारा १३एफ के तहत पांच वर्ष के लिये चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया गया। तदनुसार राज्य

निर्वाचन आयोग, हरियाणा, पंचकूला द्वारा अपने कार्यालय आदेश क्रमांक एस0ई0सी0/3एम0ई0/2024/714, दिनांक 05.06.2024 अनुसार श्रीमती कोमल अधलक्खा पत्नी श्री सुमित कुमार, वार्ड नं0 13, नूह, जिला नूह को अयोग्य ठहराने बारे अधिसूचना हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 05.06.2024 को अधिसूचित करवा दिया गया।

3. जैसा कि श्रीमती कोमल अधलक्खा पत्नी श्री सुमित कुमार, निवासी वार्ड नं0 09, नगरपरिषद नूह द्वारा दिनांक 01.07.2024 को निजी सुनवाई के लिये मेरे समक्ष उपस्थित होकर बताया कि चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद उसने अपना खर्च रजिस्टर उपायुक्त, नूह के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया था परन्तु उस समय उसे कोई पावती नहीं दी गई। उसने दिनांक 26.07.2022 को चुनाव खर्च रजिस्टर उपायुक्त कार्यालय, नूह में जमा करवा दिया था तथा उसका चुनावी खर्च तय चुनाव खर्च सीमा से कम है। इस सम्बन्ध में सबूत के तौर पर सभी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये, अपीलार्थी श्रीमती कोमल अधलक्खा ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुये यह भी अनुरोध किया गया कि उसकी अयोग्यता के आदेश को रद्द करने का कष्ट करें।

4. मैंने अपीलार्थी श्रीमती कोमल अधलक्खा पत्नी श्री सुमित कुमार को भली भांति सुन लिया है और उसके द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों का अवलोकन भी कर लिया है। इन सब परिस्थिति-जन्य स्थिति के दृष्टिगत मैं मामले पर सहानुभूवितपूर्वक विचार करते हुये उपायुक्त, नूह द्वारा पारित आदेश क्रमांक 2093-99/एल0एफ0ए0दिनांक 10.04.2024 तथा राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा पारित आदेश क्रमांक एस0ई0सी0/3एम0ई0/2024/714, दिनांक 05.06.2024 के आदेश में श्रीमती कोमल अधलक्खा पत्नी श्री सुमित कुमार, वार्ड नं0 13, नूह जिला-नूह को पांच वर्षों के लिये चुनाव लड़ने से अयोग्य

घोषित किये जाने के आदेश को निरस्त करता हूं तथा आदेश करता हूं
कि श्रीमती कोमल अधलक्खा पत्नी श्री सुमित कुमार, वार्ड नं० 13,
नूँह, जिला नूँह का नाम अयोग्य किये गये प्रत्याशियों की सूची से हटा
दिया जाये।

5. मैं उक्त आदेशों को नगरपालिका अधिनियम, 1973 की
धारा 13एफ के तहत हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करने का
भी आदेश पारित करता हूं।

स्थान: पंचकूला
दिनांक 10 अगस्त 2024

धनपत सिंह
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा

क्रमांक रा०नि०आ०/३एम०ई०/२०२४/८०७-१२ दिनांक 11.07.2024

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी
कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त एवं सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा,
पंचकूला।
2. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा,
पंचकूला।
3. उपायुक्त, नूँह।
4. कार्यकारी अधिकारी, नगरपरिषद, नूँह।
5. श्रीमती कोमल अधलक्खा पत्नी श्री सुमित कुमार, पंजाबी
मोहल्ला, निवासी वार्ड नं० 09, नूँह जिला नूँह मेवात।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, पंचकूला
को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित की
जाती है।

सहायक राज्य निर्वाचक आयुक्त,
कृते: राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा,

पंचकूला। 11/7/2024